

संस्था को एम्पाईमेंट/सीटीई/पीसीटी/आईआईटी से आगामी कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने को विधिविचार/अभिव्यक्ति/शर्तनामा/नोटिसों एवं निर्देशों, प्रविधिक शिक्षा अधिनियम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रविधिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा द्वारा बनाने गये विधियों, विनियमों, अर्देशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्ली/एम इन फार्मसी पाठ्यक्रम को सत्यापन करके ही सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस राज्य में समस्त उत्तरप्रदेशिय संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बाध-दावर किया जाता है तब इस प्रकार के संबंध में का. स्वयंपालन प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अर्देश किया गया प्राप्त है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली/एम इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित प्रवेश परीक्षा हेतु काटुनिशिलि प्राप्त होने के पूर्व सीटीई/आईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की (एम्पाईमेंट) के माध्यम से अपना संस्था प्राप्त पर सीधे प्रदेश, अनुमोदित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को समस्त सूचनाएं देते संस्था की ऐतिहासिक प्रति भूमि, भवन, साधन-सम्पदा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रसंख्या शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराने के साथ सैमिन रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को बदलते जाने हेतु निरीक्षण समिति के माध्यम उपलब्ध कराने गये अधिलेख, प्रविधिक, फार्मसी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को संस्था द्वारा सम्बन्धित किये जाने गये अनुमोदन को कायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा एम्पाईमेंट/सीटीई/पीसीटी/आईआईटी के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित सम्पदा का ही कराणी।
- ✓ सम्बन्धित धर्ती का अनुपालन न किये जाने अथवा धर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दूरसं- 886820021 सम्बन्धित 886820021/0538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधान कार्यनिदेशक, GRIJA DEVI COLLEGE OF PHARMACY SAKWAI MOHAMMADABAD
FARRUKHABAD-269851



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/0478

लखनऊ: दिनांक 03/10/2022

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-कानूनी व्यवस्थाित और इन्डिस्ट्रियल नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 03/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्गेडिड नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम: प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विधेय नवीं निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें उचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता: सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3389-GIRJA DEVI COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्डिस्ट्रियल नैचुरल हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक रात दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रथम उत्तराखण्ड से प्राप्त किया जाएगा उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्डों से शुल्क के संबंध में समय-समय पर उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत विधेय पत्रों को ध्यान में रखते हुए, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गेडिड शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, सफल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।



- ✓ यदि संस्था का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० ने अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इन संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होना और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- ✓ प्राथमिक शिक्षा परिषद, मध्यम प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई नोट दाखल किया जाता है तथा दाखल नोट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति करवी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को मध्यम प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के) स्थला से प्रवेश परीक्षा के आधार पर संबंध प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वाधिकार आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साल-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विस्तृत उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-वर्ष हेतु उपयुक्त यंत्रणाएं उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि संस्था में प्रत्येक संघालित पदाधिकारी को बताया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, प्लांटिंग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जो कुछ भवतीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा चर्चा का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसामन्वयक कार्यवाही की जायेगी।

(हस्ताक्षर)
(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/2479-2717

दिनांक: 05/10/2022

पत्रिका-

प्रधानाचार्य/निदेशक, GURUA DEVI COLLEGE OF PHARMACY

(हस्ताक्षर)
(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- प्राविधिक शिक्षा परिषद/2023/12090001

लखनऊ- दिनांक: 12-09-2023

:सम्बन्धित तथ्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय कार्यालय ऑफ इजिप्श, नई दिल्ली द्वारा सैथिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से सम्बन्धित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में सम्मति दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑफ इजिप्श, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन वास्तविकता पर उसमें अंकित प्रवेश धमला हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3388-GIRIJA DEVI COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	वास्तविकता का नाम	एम्प्लॉयमेंट/टीचर्स/सैलरी/आई/आर/सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश धमला	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश धमला
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3088/82002 टी/सी/1 दिनांक 18 मई 2022 द्वारा पूर्व से सम्बन्धित संस्था संस्थानों की पत्रों के सिद्ध तकनीकी स्तर/वर्ष में योगित विट चालिका संख्या 8023/2023 में प्राचीन मासिक के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ पूर्ण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑफ इजिप्श, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करनी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय कार्यालय ऑफ इजिप्श, नई दिल्ली के पत्रों के अनुक्रम संस्थान में सम्मति संस्थान (भुमि, भवन, लेब उपकरण), आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ पूर्ण उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली 2000, सम्बन्धित विनियमावली 2018 सत्र सम्पन्न/सत्र पर निर्णय वास्तविकता का अनुपालन करनी तथा वृत्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित वृत्तों के अर्थक उपलब्धता से पत्रा किया जायेगा। उपरोक्त के अधीनस्थ वास्तविकताओं में शून्य के सम्बन्ध में सलाह-सम्मत पर वास्तविकता द्वारा निर्णय किये जाने की वास्तविकता प्रकटी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। फॉर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फॉर जग अनुमोदन/वृत्त प्रदान है, तो फॉर की अधीनस्थ दर लागू होगी।
- ✓ सलाह में सम्पन्न प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आसटेन शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ सलाह की समय-समय पर निर्णय वास्तविकता के अनुक्रम निर्देशक एवं सम्बद्धता वृत्त जग प्रदान होगा।
- ✓ सम्मति उत्तर प्रदेश वास्तविकता द्वारा निर्णय निर्धारण/अधिनियम/वास्तविकता/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा चयन गये नियमों, विनियमों, अधिसूचियों, निर्देशों का पालन



